उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस आवेदन नं0-44/2009-10

महेश पासवान वगैरह

बनाम्

नरेश पासवान वगैरह

-: आदेश :-

दिनांक 03.03.

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता महेश पासवान वो नकुल पासवान वो अशोक पासवान, पे0-बोहरन पासवान, सा0-कदमा, थाना-बसंतराय, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के लगातार दो तिथि को पुकार पर अनुपस्थित रहने के कारण उत्तरवादी को एक पक्षीय सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपील वाद का सारांश यह है कि अपीलकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के लगान निर्धारण वाद सं0-29/85-86 आदेश दिनांक-21.05.86 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने लगान निर्धारण वाद सं0-29/85-86 के आदेश दिनांक-21.05.1986 के द्वारा मौजा-मेदनीचक नं0-48 चौकीदारी जमीन का लगान निर्धारण उत्तरवादी सं0-01 के साथ किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-मेदनीचक थाना नं0-45 के जमाबंदी सं0-95 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शदरी हाजरा चौकीदार के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी मौजा-मेदनीचक के चौकीदार नियुक्त होने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के लगान निर्धारण वाद सं0-29/85-86 के द्वारा उक्त चौकीदारी जागीर जमीन का लगान निर्धारण उत्तरवादी के नाम से किया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा नियमानुकुल उत्तरवादी के साथ लगान निर्धारण किया गया। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बसंतराय के पत्रांक-75/रा दिनांक-18.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-मेदनीचक थाना नं0-45 के जमाबंदी सं0-95 कुल रकवा 10-02-18

धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शदरी हाजरा वल्द गोपी हाजरा कौम दुशाध शा0 देह के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत का वंशावली निम्न प्रकार दर्शाया गया है :–

शदरी हाजरा (चौकीदार)
↓
बोहरन पासवान (चौकीदार)
(मृत)

नरेश पासवान (जीवित सेवानिवृत चौकीदार)	महेश पासवान	नकुल पासवान	अशोक पासवान (जीवित चौकीदार वर्तमान में कार्यरत)

आगे प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में उपरोक्त जमाबंदी की जमीन केवल नरेश पासवान द्वारा जोत आबाद किया जा रहा है।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि वर्तमान अपील वाद परिसीमा विधि के अनुसार कालबाधित है और कालबाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। क्योंकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के चौकीदार लगान निर्धारण वाद सं0–29/85–86 के आदेश दिनांक–21.05.86 के विरूद्ध अपील वाद दिनांक–09.11.2009 को दायर किया गया है। उनका आगे मंतव्य है कि प्रश्नगत जमीन चौकीचारी जागीर जमीन है, जो शदरी हाजरा चौकीदार के नाम से दर्ज है और वर्तमान उत्तरवादी भी चौकीदार थे, जिसके नाम से लगान निर्धारण का आदेश दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–मेदनीचक नं0–45 जमाबंदी सं0–95 कुल रकवा 10–02–18 धुर जमीन शदरी हाजरा चौकीदार के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत की जमीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के चौकीदारी जागीर लगान निर्धारण वाद सं0–29/85–86 आदेश दिनांक–21.05.86 के द्वारा उत्तरवादी के नाम से लगान निर्धारण किया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि उक्त लगान निर्धारण के समय उत्तरवादी नरेश पासवान चौकीदार थे। साथ ही अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन कालबाधित है एवं अपीलकर्त्ता भी सुनवाई की दो तिथि को लगातार अनुपस्थित रहें हैं। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के चौकीदारी जागीर लगान निर्धारण वाद सं0–29/85–86 आदेश दिनांक–21.05.86 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

03.03.21
उपायुक्त,
गोड्डा।

03.03.21
उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
05/3/21

Seen
5/3/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 12:21:03 +05:30
Location: 192.168.29.32